

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 24/3/26

विषय- कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹ 5,33,45,257/- (पाँच करोड़ तैंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ संतावन रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कला एवं संस्कृति विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल राशि ₹ 5,33,45,257/- (पाँच करोड़ तैंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ संतावन रूपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, लखीसराय	30507	लखीसराय जिला मुख्यालय में मॉडल नक्शा पर आधारित 630 क्षमता का सभागार निर्माण कार्य	723/ 14.03.24	52477013 (पाँच करोड़ चौबीस लाख सतहत्तर हजार तेरह रूपये)
02.	भवन प्रमंडल, अररिया	पत्रांक- 362अनु, दिनांक- 21.02.2 6	अररिया जिलान्तर्गत 620 क्षमता वाले अटल कला भवन-सह-प्रेक्षागृह, अररिया के निर्माण कार्य	750/ 04.02.25	868244 (आठ लाख अडसठ हजार दो सौ चौवालीस रूपये)
कुल राशि					53345257

(पाँच करोड़ तैंतीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ संतावन रूपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण उपशीर्ष-0107-सांस्कृतिक संरचना विपत्र कोड-03-4059600510107 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0107.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जायेगी।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 2924 (A)

पटना, दिनांक:- 24/3/26

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, संबंधित/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।